न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1252/2004/बारां

1. नसीरखां पुत्र कालेखां उर्फ कल्लू
2. शकीलखां पुत्र कालेखां उर्फ कल्लू
3. नूरजहां पुत्री कालेखां उर्फ कल्लू

–समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम देवरी तहसील शाहबाद जिला बारां

....**अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण**

बनाम

1. रजाकखां पुत्र
2. रफीकखान पुत्र
3. आफताब खान
4. मेताबखान
5. मुश्ताक खान
6. दिलशान खान
7. खुरशीद बेगम
8. जुबेदा बेगम

–पुत्र व पुत्रियां शेरखां जाति मुसलमान निवासी पुरानी शिवपुरी, मध्य प्रदेश

9. मु. असगरी बेगम बेवा शेरखां जाति मुसलमान निवासी पुरानी शिवपुरी द्वारा रजाकखां पुत्र शेरखां जाति मुसलमान निवासी सिपाहियों के आम बाडे के पास, पुरानी शिवपुरी, मध्यप्रदेश
10. बशीरखां पुत्र बरकत अली
11. गफूरखां पुत्र अमीर खां – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**

    11/1. मुन्ना खां पुत्र अमीरखां जाति मुसलमान निवासी नया बाजार मातापाली, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता।

....**प्रत्यर्थीगण/वादीगण**

खण्ड पीठ

डॉ. आर. वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष

श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थितः–

श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 03–12–2020

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 458/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. आलोच्य अपील विलम्ब से पेश की गई है। जिसके बाबत अपीलार्थीगण ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में उभयपक्ष को सुना। उल्लेखनीय है कि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण जिन उद्धरणों का समावेश किया है, उन पर विश्वास किया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद निर्धारित किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188, 92 (ए) व 53 के तहत मौजा देवरी तथा मौजा गांजन स्थित वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में उल्लेखित विवादित आराजियात के क्रम में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपना जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अनुतोष चाहा कि वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजियात के सम्पूर्ण रकबे की प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त पेश काउन्टर क्लेम का वादीगण ने अपना जवाब पेश अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर काउन्टर क्लेम को खारिज करने का

निवेदन किया। उक्त वाद के विचारण के दौरान उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद ने अनुतोष सहित 5 विवाद्यक कायम करते हुए आज्ञा दिनांक 29–03–2001 को प्राथमिक डिक्री पारित कर अंकन किया कि प्रश्नगत रकबा पैतृक होना निर्धारित होता है तथा वादीगण के वाद को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही विचारण न्यायालय ने तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से निर्धारित करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार से चाहे गये। कालान्तर में विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 30–09–2004 द्वारा विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29–03–2001 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2003 द्वारा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2001 को यथावत रख दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–03–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में कहा कि प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर इसी अनुसार निर्णय पारित नहीं कर विचारण न्यायालय ने गलती की है। आगे बताया कि वादीगण के पूर्वज ने करीब 50 वर्ष पूर्व देवरी की आराजी के हक मृतक कालेखां के हक में विक्रय करके व तर्क करके चले गये। उनका कथन है कि मृतक कालेखां के वारिसान लगभग 45 वर्ष तक आराजी पर काश्त करते आ रहे है। उन्होंने बताया कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में न तो विवाद्यक कायम किए तथा न ही विधि अनुसार कोई सुनवाई ही की गई है। उनका तर्क है कि वादीगण ने दावे की कार्यवाही में वादीगण संख्या 3 गफूर जो कि 20 वर्षो से लापता होने के बावजूद उसके फर्जी हस्ताक्षर कर वाद पेश किया है। इस तथ्य के

बावजूद भी बिना किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के वादी ने मृतक के विधिक वारिसान के रूप में 3/1 मुन्नाखां अंकित कर उत्तराधिकार बनाया है। यहीं नहीं गफूरखां न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ तथा गफूरखां के फर्जी हस्ताक्षर बाबत प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश की गई, जिसे नजरन्दाज कर दिया गया। उनका तर्क है कि विवाद्यक संख्या 4 के बारें में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली। उनका यह भी तर्क कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम प्रमाणित होते हुए भी इस बारे में विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया तथा यही नहीं वादीगण के दावे को किस प्रकार प्रमाणित होना अंकित किया, इस बारे में किसी प्रकार का विधिक विश्लेषण नहीं किया गया। अन्त में उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद को आदेशित किया जावे कि नियमानुसार विवाद्यक कायम प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा पेश काउन्टर क्लेम के बाबत आवश्यक तनकीयात कायम कर विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया है।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने बहस में कहा कि जिस प्रकार प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत आराजी में से अपना हिस्सा मृतक कालेखां को विक्रय करके और अपनी सकूनत तर्क करके चले गये है, इस तथ्य को प्रतिवादीगण ने किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यदि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में बिना विवाद्यक कायम किए निर्णय पारित किया है तो इससे प्रतिवादीगण को क्या हानि हो सकती है, इस बारे में उन्होंने किसी प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। इसके अतिरिक्त यदि आराजी का बेचान किया गया है तो आराजी को किसे और कितने प्रतिफल के बदले में विक्रय किया, इस बाबत भी प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यहीं नहीं प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का तर्कनामा भी पेश नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबे पर प्रतिकूल कब्जे के बाबत अपने पक्ष में डिक्री पारित करने बाबत प्रतिवादीगण ने अनुतोष चाहा है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि राजस्व

मण्डल की वृहद पीठ के निर्णयानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही दिए जाने बाबत व्याख्या की गई है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा सहखातेदारी की भूमि है तथा वादीगण सहखातेदार है व इस प्रकार सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा की कोई मान्यता नहीं है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधायिका की भावना के अनुसरण में अपने निर्णय पारित किए है, जो कि अहस्तक्षेपनीय है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

8. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधिनुसार परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रश्नगत रकबे के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। उपलब्ध दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि भूमि का मूल खातेदार अमीरखां था, जिसके देहान्त के बाद आराजी शेरखां, बरकतअली, कालेखां व गफूरखां के नाम सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध है कि प्रतिवादीगण मृतक कालेखां के उत्तराधिकारी है।

9. बहस के दौरान अपीलार्थीगण का आक्षेप है कि वादीगण के पूर्वज ने करीब 50 वर्ष पूर्व देवरी की आराजी के हक मृतक कालेखां के हक में विक्रय करके व तर्क करके चले गये तथा मृतक कालेखां के वारिसान लगभग 45 वर्ष तक आराजी पर काश्त करते आ रहे है। उक्त क्रम में यह परिलक्षित होता है कि यदि आराजी का बेचान किया गया है तो आराजी को किसे और कितने प्रतिफल के बदले में विक्रय किया गया,

इस बाबत भी प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यहीं नहीं प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का तर्कनामा भी पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण का द्वितीय आक्षेप है कि प्रश्नगत रकबे पर पिछले 50 वर्षो से लगातार प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, इस बाबत उनके द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में भी उद्धरण लिया गया है। अतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण अुनतोष पाने के अधिकारी है। प्रतिकूल कब्जे के बारे में विधिक प्रावधान यह है कि सहखातेदारी के धारण की भूमि के बाबत एक सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। यहां यह उल्लेखनीय है राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने आरआरडी 2011 पेज 508 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी काश्तकार को खातेदारी का अनुतोष देय नहीं है। मण्डल के उक्त विनिश्चय के परिप्रेक्ष्य में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का खातेदारी अधिकार पाने संबंधी तर्क मानने योग्य नहीं है।

10. रेकार्ड से यह भी आभास होता है कि वादीगण अपने पूर्वजों के समय से प्रश्नगत रकबे के आदिनांक तक सहखातेदार है। जिसे प्रतिवादीगण ने किसी भी साक्ष्य से खण्डन नहीं करवाया है। प्रतिवादीगण ने आपत्ति यह भी कि मामले में विचारण न्यायालय ने तनकीवार विश्लेषण नहीं किया। इस बाबत उल्लेखनीय है कि यदि न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय पारित नहीं किया है तो इससे प्रतिवादीगण को किस प्रकार हानि हो सकती है, इस बारे में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं की गई है। उक्त विवेचन के क्रम में हमारी विनम्र राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का कोई अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है।

11. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह उद्घोषित होता है कि प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। स्थिति यह प्रकट होती है कि

अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. परिणामतः अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-03-2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष